न्यायालय संभागीय आयुक्त, सीकर संभाग, सीकर
पीठासीन अधिकारी डॉ0 मोहन लाल यादव (आई,ए,एस)

अपील संख्या 731/2023

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज0

—:अपीलान्टः—

बनाम

1. मोहन सिंह पुत्र रघुवीर सिंह
2. दलीप सिंह पुत्र रघुवीर सिंह
3. देवी सिंह पुत्र रघुवीर सिंह
4. भगवान सिंह पुत्र रघुवीर सिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी अडूका तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू

—:रेस्पोडेन्ट्सः—

अपील संख्या 725/2023

1. शीशराम हाल सरपंच ग्राम पंचायम अडूका
2. लीलाधर पुत्र सुण्डाराम जाति मेघवाल
3. महिपाल पुत्र बंजरगलाल जाति गुर्जर
4. सुगनचन्द पुत्र बजरंगलाल जाति गुर्जर
5. राजेश सैनी पुत्र शिवपाल जाति माली
6. नन्दलाल पुत्र भगवानाराम जाति मेघवाल
7. मन्ने सिंह पुत्र इन्द्राज मेघवाल

समस्त निवासी अडूका तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू

—:अपीलान्टः—

बनाम

1. मोहन सिंह
2. दलीप सिंह
3. देवी सिंह
4. भगवान सिंह

पुत्रगण रघुवीर सिंह जाति राजपूत निवासी अडूका तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू

—:रेस्पोडेन्ट्सः—

उपस्थितिः—

1. श्री शिवनारायण सिंह अपीलांट की ओर से।
2. श्री कुलदीप शर्मा रेस्पोडेन्टस कि ओर से।

संभागीय आयुक्त
सीकर

निर्णय

दिनांकः— 09.01.2024

1. अपीलार्थीगण द्वारा यह अपीलें अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू के आदेश दिनांक 03.04.2022 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम अडूका तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू भूमि हाल खसरा नं0 345 रकबा 5.82 है0 व खसरा नं0 866/94 रकबा 7.23 है0 बारानी द्वितीय कुल खसरे 2 कुल रकबा 13.05 है0 स्थित है। ग्राम अडूका के गत खसरा नं0 196 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा व गत खसरा नं0 198 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा से नये खसरा नं0 94 रकबा 7.46 है0 बारानी द्वितीय खसरा नं0 225 रकबा 3.91 है0 बारानी प्रथम, खसरा नं0 345 रकबा 5.82 है0 बारानी द्वितीय भू प्रबन्ध विभाग तैयार किये गये। उक्त भूमियों के रकबा बरारी करते समय नये व पुराने खसरा नम्बरों का रकबा मिलान नहीं होता है। रकबा बरारी करते समय इसी ग्राम अडूका के गत खसरा नं0 296 मिन किस्म जोहड़ से नये खसरा नम्बरों का रकबा मिलान नहीं होता है। क्योंकि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रतिवादीगण को फायदा पहुंचाने की गरज से गत खसरा नं0 296 मी. की भूमि को कम कर गत खसरा नं0 196, 198 की भूमि में शामिल करते हुए खसरा नं0 345, 225, 94 बनाये है। उक्त भूमि का हाल खसरा नं0 345 रकबा 5.82 व 866/94 रकबा 7.23 है0 गत खसरा नं0 296 के भाग की भूमि है जिसका संज्ञान वर्तमान में उक्त भूमि हाल खसरा नं0 345 व 866/94 कही प्रतिवादीगण द्वारा पत्थरगढी करवाने पर ग्रामवासियान अडूका द्वारा विरोध करने वादी को समस्त तथ्यों का ज्ञान हुआ। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.04.2022 को खारिज फरमाया जावें।

2. विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष ने लिखित बहस पेश कि। अधिवक्ता अपीलार्थी ने लिखित बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि प्रकरण की परिस्थितियों मे सेटलमेन्ट विभाग द्वारा सेटलमेन्ट के दौरान गोचर भूमि गत खसरा नम्बर 296 रकबा 105 बीघा 17 बिस्वा वाके अडूका को बारानी किस्म मे परिवर्तित कर गैर मुमकिन जोहड़ के बजाय प्रत्यर्थीगण सं0 1 ता 4 की खातेदारी मे दर्ज कर दिया जिसके बारे मे लैण्ड होल्डर तहसीलदार सूरजगढ़ को बाद जांच ज्ञात होने पर उनके द्वारा धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत अदालत मातहत के समक्ष इसे एक लिपिकीय त्रुटि मानते हुए दुरस्त किये जाने का प्रार्थना प्रस्तुत किया जो प्रकरण व कानून की उक्त वर्णित परिस्थितियों मे पोषणीय होकर इसे स्वीकार किये जाने मे कोई किसी प्रकार कह विधिक बाधा नही होने के बावजूद अदालत मातहत ने प्रार्थना पत्र को खारिज करने मे अपनी मनमर्जी से भारी कानूनी भूल की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश 03.04.2022 को खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस के समर्थन न्यायिक दृष्टांत 2019 डीएनजे(Rev)267, 1989आरआरडी 203, 2019(2)आरआरटी 1198, 2019(1)आरआरटी758, 2021(1)आरआरटी 278, 2013 आरआरडी 87, 2015(1) आरजे 368 पेश कि।

3. अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस मे तर्क प्रस्तुत किये है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.04.2022 पूर्णतया विधिक है, जिसे अपास्त करवाने का अपीलार्थी को कोई विधिक अधिकार नही है। अपालार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के

संभागीय आयुक्त
सीकर

समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम के दावा कह कर सम्बोधित किया है, जबकि राजस्व भूमि से सम्बन्धित खातेदारी अधिकारों के लिये वाद धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है लेकिन अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत प्रकरण धारा 136 व 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया था, जिसमें केवल मात्र लिपिकीय त्रुटि एवं नक्शे की त्रुटि ही दुरस्त की जा सकती है। अपीलार्थी कह अपील कानूनन पोषणीय नही होने के कारण खारिज किये जाने की कृपा करें। अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपने बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2015(1)आरआरटी 10, 2014(2)आरआरटी 1111, 2017(2)आरआरटी 1264 पेश किये।

4. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली, राजस्व रिकार्ड व अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़ द्वारा दिनांक 03.04.2022 को आदेश पारित कर अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की गयी। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ अपने आदेश में अंकन किया कि राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप 06 विभाग परिपत्र संख्या प06(12) राजस्थान/6/92/26 जयपुर दिनांक 20.12.1995 अनुसार समरी ट्रायल में गलतियों का सुधार करना नियमित वाद का विकल्प नही है, समय की व्यवस्था गलतियों के सुधार के लिए की गई है। परस्पर खातेदारी सम्बन्धि विवाद सक्षम न्यायालयों से निर्णित कराना होगा व धारा 136 के तहत मूल रूप से खातेदारी अधिकारों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, ऐसे परिवर्तनों के लिए राज0 काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अदालत में वाद दायर करना होगा।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में प्रावधान है कि:

गलतियों का शुद्धिकरण – भूमि अभिलेख अधिकारी किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हें शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकारी–अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें:

परन्तु जब किसी राजस्व अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान किसी भी अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान किसी भी अधिकार अभिलेख में किसी भी गलती को नोटिस किया जाये तो कोई भी ऐसी गलती तब–तक शुद्ध नहीं की जावेगी जब–तक कि पक्षकारों को हेतुक दर्शित करने का नोटिस नहीं दे दिया गया हो।

5. उपरोक्त प्रावधानों का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी को लिपिकीय त्रुटि या ऐसी त्रुटि जहां पक्षकार त्रुटि होना स्वीकार करते है, राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करने का अधिकार है। वर्तमान प्रकरण में ऐसी स्थिति नहीं है। उपखण्ड अधिकारी केवल लिपिकीय त्रुटि को दोनों पक्षकारों की सहमति से दुरस्त कर सकता है जबकि इस प्रकरण में ऐसा नहीं है। क्योंकि भू प्रबन्ध द्वारा किये गये इन्द्राज लिपिकीय त्रुटि की परिभाषा में नही आते है। इस परिप्रेक्ष्य में न्यायिक दृष्टान्त 2015(1) आरआरटी 10, 2014(2) आरआरटी 1111, एवं 2017(2) आरआरटी 1264 है। उक्त न्यायिक दृष्टातों में यह अभिमत व्यक्त

संभागीय आयुक्त
सीकर

किया गया है कि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा किये गये इन्द्राज लिपिकीय त्रुटि की परिभाषा में नही आते है।

6. धारा 136 भू राजस्व अधिनियम से एवं उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.04.2022 पारित किया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है तथा उसकी पुष्टि किया जाना उचित समझते है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांटस अस्वीकार कि जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.04.2022 यथावत रखा जाता है।

(डॉ0 मोहन लाल यादव)
संभागीय आयुक्त,
सीकर

निर्णय आज दिनांक 09.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
सीकर

न्यायालय संभागीय आयुक्त सीकर (राज.)